छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019

(आषाढ़ 28, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 05, 07 से 11, 13 से 19 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 01,06 एवं 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री विद्यारतन भसीन, डॉ. विनय जायसवाल एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 18 के प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के स्थान पर श्री सौरभ सिंह, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित एवं 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2018-19 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(4) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1 (3), दिनांक 27 दिसंबर, 2018 तथा

(5) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ शासन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

पटल पर रखे ।

3. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में सूखे एवं अकाल की छाया मंडराने की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.15 बजे स्थगित की जाकर 12.31 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

4. वक्तव्य

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रदेश में सूखे एवं अकाल की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

5. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा वक्तव्य के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 43 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि 01 से 04 तक की सूचना ली जावेगी ।

(1) डॉ.रमन सिंह,सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर,सदस्य ने प्रदेश में बुनकर समितियों को कच्चा माल (सूत)उपलब्ध नहीं होने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

श्री गुरु रूद्र कुमार, ग्रामोद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री यू.डी. मिंज, सदस्य ने अटल नगर विकास प्राधिकरण, रायपुर में व्याप्त अनियमितता की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर शहर में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा।)

(4) श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने वन विभाग में अधिकारियों द्वारा शासन की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
5.	सर्वश्री देवव्रत सिंह, धरमलाल कौशिक
6.	सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजीत जोगी, मोहन मरकाम
7.	श्री धर्मजीत सिंह
8.	श्री सौरभ सिंह
9.	श्री दलेश्वर साहू
10.	श्री धर्मजीत सिंह
11.	श्री अरूण वोरा
12.	श्री सत्यनारायण शर्मा,
13.	सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर
14.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
15.	श्री अजीत जोगी
16.	श्री अजीत जोगी, डॉ. रेणु अजीत जोगी
17.	सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, चन्द्रदेव प्रसाद राय
18.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

19. श्री सत्यनारायण शर्मा
20. डॉ. विनय जायसवाल
21. श्री कुलदीप जुनेजा
22. श्री सौरभ सिंह
23. श्री सौरभ सिंह
24. श्री मोहन मरकाम
25. श्री कुलदीप जुनेजा
26. श्री कुलदीप जुनेजा
27. श्री धर्मजीत सिंह
28. श्री धर्मजीत सिंह
29. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
30. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह
31. श्री बघेल लखेश्वर
32. श्री बघेल लखेश्वर
33. श्री सौरभ सिंह
34. श्री दलेश्वर साहू, डॉ.रमन सिंह
35. श्री देवव्रत सिंह
36. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डमरूधर पुजारी
37. श्री अजीत जोगी, डॉ. रेणु अजीत जोगी
38. डॉ. विनय जायसवाल
39. श्री सत्यनारायण शर्मा
40. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल
41. श्री बृजमोहन अग्रवाल
42. श्री मोहित राम
43. श्री रामकुमार यादव

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
3. श्री नारायण चंदेल
4. श्री सौरभ सिंह
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री ननकीराम कंवर
7. श्री धरमलाल कौशिक
8. श्री मोहन मरकाम
9. श्री बृजमोहन अग्रवाल
10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
11. श्री धनेन्द्र साहू
12. श्री रामपुकार सिंह
13. श्री सत्यनारायण शर्मा
14. श्री धर्मजीत सिंह
15. श्री रजनीश कुमार सिंह
16. श्री यू. डी. मिंज
17. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
18. श्री अजीत जोगी

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सभापति ने लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम्, षष्ठम्, सप्तम्, अष्ठम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती इन्दू बंजारे

(2) श्री धरमलाल कौशिक

(3) श्री कुंवर सिंह निषाद

(4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

10. वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 55, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़, बावन लाख, इकत्तीस हजार, पांच सौ दस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ रमन सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृहस्पत सिंह, धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, शैलेष पाण्डेय, नारायण चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री दलेश्वर साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, सौरभ सिंह, श्रीमती अंबिका सिंहदेव,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

श्री देवव्रत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019)

श्री अमरजीत भगत, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण एवं सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री मोहन मरकाम

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, बृहस्पत सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण एवं सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019)

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, बृहस्पत सिंह ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. अशासकीय संकल्प

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदन की सहमति से अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिये जायेंगे।

13. समितियों का निर्वाचन

1.सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य को सदस्य नियुक्त किया ।

नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया ।

2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति

हेतु श्री शिशुपाल शोरी एवं श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य को उक्त समिति का सदस्य नियुक्त किया ।

नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया ।

3. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति के लिए वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए एक स्थान हेतु श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य को उक्त समिति का सदस्य नाम निर्देशित करते हुए समिति का सभापति नियुक्त किया ।

14. नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री अजीत जोगी, सदस्य द्वारा माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, श्री गुरु रूद्र कुमार के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 17 जुलाई, 2019 को विचारोपरांत मैंने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

15. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

पंचम विधानसभा के द्वितीय सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, यह सत्र जिसे मानसून सत्र या पावस सत्र कहते हैं, जो 12 से 19 जुलाई 2019 के मध्य आहूत हुआ। इस सत्र के समापन के अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी और समस्त माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस ढंग से सुव्यवस्थित संचालन में अपनी सहभागिता और सहयोग मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के माननीय सदस्यों ने जो संसदीय विषयों पर अपनी रूचि दिखाई है और जो जिज्ञासा मैंने लोगों के मन में देखी है। वहीं दूसरी ओर जनसेवा के कार्यों में उन्होंने अपनी एक अद्भूत ललक का प्रदर्शन किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि यही ललक आपको एक कुशल जनप्रतिनिधि बनाएगी और इसके लिये

मेरी शुभकामनाएं । सत्र के समापन अवसर पर मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा अनुरोध है कि प्रत्येक परिस्थिति में आप लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का कष्ट करें तो बड़ी सुविधा होगी । मुझे विश्वास है कि आप मेरे अनुरोध का भविष्य में ख्याल रखेंगे और जैसा कि हमारे साहब कबीर जी ने कहा है कि -

ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय ।
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय ।।

पंचम विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की संख्या भले ही कम हो लेकिन आपने जिस प्रकार अपनी वरिष्ठता का, अपने अनुभव का प्रदर्शन करके एक सशक्त प्रतिपक्ष होने का यहां उदाहरण प्रस्तुत किया है, दिखाया है और अपने अनुभव का लाभ दिया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

सदन के नेता माननीय भूपेश बघेल जी के प्रति मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक विपरीत पारिवारिक परिस्थिति में यहां आकर अपनी उपस्थिति दी और जिस ढंग से उन्होंने संसदीय कार्य का सम्मान किया, सदन का सम्मान किया उसके लिये मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं । उनका यह सम्मान अनुकरणीय जो कहना चाहिए, इससे हम सबको सीखना चाहिए कि घर में विशेष परिस्थिति हो सकती है, पारिवारिक परिस्थिति में जो हम सबने देखा, उन्होंने भोगा उसके बावजूद भी वे बिना धैर्य खोए यहां आते रहे इसके लिये मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

मुझे इस बात से अवगत कराना है, जैसा कि कार्यमंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया है कि 02 अक्टूबर, 2019 को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जो पूरी तरह से माननीय गांधी जी के प्रति समर्पित होगा क्योंकि यह **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का 150वां वर्ष** है और 02 अक्टूबर को ही हम लोग यहां पर गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे ।

सत्र में सांख्यिकीय आंकड़े रखने की परंपरा है । इस सत्र की कुल 05 बैठकों में लगभग 23 घंटे 19 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में तारांकित प्रश्न करीबन 495, अतारांकित 451 इस प्रकार 946 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं । जिसमें से 52 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए । ध्यानाकर्षण की कुल 257 सूचनाएं प्राप्त हुईं और 07 सूचनाएं ग्राह्य हुईं उस पर 50 सूचनाएं शून्यकाल की सूचना में परिवर्तित की गईं । स्थगन की कुल 96 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से एक विषय में 13 सूचनाएं प्राप्त होने के कारण उन्हें ग्राह्य किया गया, एक विषय में संबंधित 03 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राह्य किया

गया । शून्यकाल की 87 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 62 सूचनाएं ग्राह्य और 25 सूचनाएं अग्राह्य की गईं । माननीय सदस्यों द्वारा 71 याचिकाएं प्रस्तुत की गईं जिनमें से 21 ग्राह्य और 50 अग्राह्य रहीं । इस सदन में आये 05 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुए जिस पर चर्चा नहीं हो सकी, जिस पर आने वाले सत्र में निर्णय किया जाएगा ।

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 07 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी चर्चा के उपरांत पारित हुए । वित्तीय कार्यों के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 05 घंटे 04 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने, भिज्ञ करने की दृष्टि से इस बार 5200 नागरिकों ने इस सत्र की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया है यह बहुत खुशी की बात है ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मेरा सहयोग किया है।

मैं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, सम्माननीय पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाहियों में गंभीरतापूर्वक रूचि ली और प्रचार-प्रसार माध्यमों में प्रमुख स्थान दिया । इसके साथ ही मैं रायपुर दूरदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं ।

इस सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव एवं समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सत्र के दौरान बनाए रखी । मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्व का निवर्हन कुशलतापूर्वक किया ।

सत्र के समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथि घोषित करने की परम्परा रही है । चूंकि हम लोग 2 अक्टूबर को मिल ही रहे हैं, तत्समय यह घोषणा कर दी जाएगी ।

मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की उन्नति में, छत्तीसगढ़ को शिखर तक पहुंचाने में हम सबकी बराबर की भागीदारी है, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ को शिखर तक पहुंचाएं । यही मेरा आप सबसे अनुरोध है ।

धन्यवाद

जय- हिन्द, जय- भारत, जय- छत्तीसगढ़ !

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, अजय चन्द्राकर, कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने भी उद्‌गार व्यक्त किये ।

16. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मण की धुन बजाई गई)

रात्रि 8.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा